प्रतिवेदन

प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य आख्या

परियोजना का नाम – कूल विरखन से सूड़ होते हुए प्यूड़ा इन्टर कॉलेज तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु समेकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

जनपद नैनीताल के में कूल विरखन सूड़ होते हुए प्यूड़ा इन्टर कॉलेज तक मोटर मार्ग के निर्माण 7.000 कि0मी0 हेतु कार्य की स्वीकृति दो भागों में पृथक–पृथक शासनादेशानुसार निम्नवत हुई जिसके अनुसार प्रथम भाग की स्वीकृति नैनीताल में कूल बिरखन सूड़ मोटर मार्ग का निर्माण ल0 4.00 कि0मी0 की स्वीकृति शा0सं0 63/।।।–(2)/06–91(प्रा0आ0) / 05 दिनांक 16 जनवरी 2006 तथा द्वितीय भाग की स्वीकृति जनपद नैनीताल में प्यूड़ा इन्टर कॉलजे से कूल बिरखन रोड तक 3.00 कि0मी0 तक लिंक रोड का निर्माण नाम से शा0सं0 547/।।। (2)/09–44 (प्रा0आ0)/08 दिनांक 11 फरवरी 2009 के अनुसार प्राप्त हुई । भारत सरकार के द्वारा एस0ए0जी0 की बैठक में निर्देशित किया गया है कि एक ही मार्ग हेतु अलग–अलग भागों में स्वीकृतियों वाले प्रकरणों में समेकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव एक साथ गठित कर प्रस्तुत किये जाये।

अतः भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में समेकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है ।

यह क्षेत्र फल, सब्जी उत्पादक क्षेत्र है। मोटर मार्ग काफी दूर होने से स्थानीय जनता को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है जनता द्वारा शासन से बार–बार मोटर मार्ग की मांग करने के फलस्वरूप इस मोटर मार्ग हेतु उपरोक्त दो भागों में स्वीकृति प्रदान की गई है इस मोअर मोटर मार्ग के बन जाने से ग्राम कूल, बिरखन, गैराड़ी, सूड़ कभड़ा, निगराड़, मल्ला प्यूड़ा एवं सतौली आदि गांवों की जनता लाभान्वित होगी।

इस मोटर मार्ग की पूर्व स्वीकृति 4.00 कि0मी0 के अर्न्तगत 3.00 कि0मी0 भाग वृक्ष रहित नाप भूमि के अर्न्तगत आने के कारण जिसका निर्माण 3.00 कि0मी0 लम्बाई में किया जा चुका है । शेष 4.00 कि0मी0 लम्बे, 9.00 मी0 चौड़े भू–भाग के अर्न्तगत विभिन्न प्रजाति के कुल 574 वृक्ष प्रभावित होते हैं जिनकी नियमानुसार संयुक्त निरीक्षण एवं गणना कर प्रस्ताव के साथ गणना सूची व मूल्यांकन प्रपत्र आदि संलग्न कर दिये गये हैं। मार्ग के अर्न्तगत आरक्षित वन भूमि 0.522 है0, कुल सिविल सोयम भूमि ग्राम सतौली, सतखोल, कभड़ा, सूड़ बिरखन आदि गांवों की 0.765 है0 वन पंचायत ग्राम सतौली की 0.171 है0 तथा कुल नाप भूमि ग्राम सतखोल, सतौली, कभड़ा, सूड़, बिरखन आदि की 2.142 है0 प्रभावित होती है। विभागीय निदेशानुसार आरक्षित वन भूमि 0.522 है0 वन पंचायत भूमि 0.171 है0 तथा सिविल सोयम भूमि 0.765 है0 कुल 1.458 है0 का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव नियमानुसार गठित कर निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग नैनीताल के नाम हस्तान्रतण किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जा रहे हैं ।

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि हस्तान्तरण हेतु वन विभाग द्वारा निर्धारित आवश्यक नियमों एवं शर्तों का निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नैनीताल द्वारा पालन किया जायेगा तथा प्रस्तावित वन भूमि विभाग के नाम हस्तान्तरित कर दिये जाने के उपरान्त ही निमार्ण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मार्ग के अर्न्तगत आवश्यक एवं अपरिहार्य वृक्षों का ही पातन किया जायेगा।

अमीन	कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता (तृतीय) नि0ख0लो0नि0वि0 नैनीताल	अधिशासी अभियन्ता नि0ख0लो0नि0वि0 नैनीताल

सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0 नैनीताल